न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 21/2015 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2015/00186

उनवान

1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र गोरखी जाति जाटव निवासी हींगोटा तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र गोरखी } जाति जाटव निवासी हींगोटा तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
2. तुरसा पत्नी गोरखी }

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, भुसावर दिनांक 15.10.2013 उनवानी अमरचन्द बनाम भूपेन्द्र सिंह मु0न0 56/2013

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री जे0पी0 भण्डारी उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 08.04.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के आदेश दिनांक 15.10.2013 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/प्रार्थी संख्या 01 ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अपीलाण्ट/अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी किता 05 रकवा 11 बीघा 11 विस्वा वाके ग्राम हिंगोटा तहसील भुसावर में स्थित है। जिसके सालिम हिस्से में रैस्पो0/प्रार्थी संख्या 01 अमरचन्द एवं अपीलाण्ट/अप्रार्थी व रैस्पो0 संख्या 02 वहिस्सा बराबर के एवं विवादित आराजी किता 03 कुल रकवा 05 बीघा 16 विस्वा वाके ग्राम मालाहेडा तहसील भुसावर में रैस्पो0/प्रार्थी संख्या 01 अमरचन्द एवं अपीलाण्ट/अप्रार्थी व रैस्पो0 संख्या 02 वहिस्सा बराबर 1/6 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दर्ज हैं। विवादित आराजी रैस्पो0/प्रार्थी व अपीलाण्ट/अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजी है जिसका पक्षकारान् के मध्य अभी तक कोई कानूनी विभाजन नहीं हुआ है। पक्षकारान आपसी बाहमी मनबट के आधार पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थी/अपीलाण्ट लठैत व सरगना व्यक्ति हैं, जिन्होनें रैस्पो0/प्रार्थी के खिलाफ नाजायज गिरोह बना रखा है एवं पूर्व में हो रहे बाहमी मनबट से इंकारी करते हुये प्रार्थी/रैस्पो0 के निहित हिस्से की आराजी में कब्जे काश्त को लेकर दखलदांजी करते हैं। प्रार्थी/रैस्पो0 ने विवादित आराजी को कानूनन विभाजन कराने की कहा तो वह साफ इंकारी हो गये एवं प्रार्थी/रैस्पो0 को खुले आम धमकी दी कि हम विवादित आराजी पर जबरन कब्जा कर किसी दीगर व्यक्ति को रहन वय मुन्तकिल कर देंगें। यदि अप्रार्थी/अपीलाण्ट अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो प्रार्थी/रैस्पो0 को अपरमित क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट/अप्रार्थी को ता फैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/अप्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलाण्ट रैस्पो0 के साथ समभाग का खातेदार काश्तकार काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने सहकृषक खातेदार के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। विवादित आराजी पैतृक है एवं अपीलाण्ट समभाग के सहकृषक हैं; एक सहकृषक का कब्जा सभी अन्य सहकृषकों का माना जाता है ऐसी स्थिति में कब्जे व राजस्व अभिलेख के संबंध में कोई भी विपरीत आदेश अपीलाण्ट के विरूद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश NON SPEAKING आदेश है। क्योंकि अपीलाधीन आदेश में अस्थायी निषेधाज्ञा के कारण नहीं बताये हैं तथा ना ही प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं अपरमित क्षति के बिन्दु को रिकार्ड तथा साक्ष्य के आधार पर तय किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिवत व न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया है, जो सही है। अपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार व्यथित है, सिद्ध नहीं किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। रैस्पो0/वादी ने अपने दावें में विवादित भूमि में सहखातेदारी बताते हुए, बटॅवारे की प्रार्थना की है एवं इस दावें के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2069–2072 के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी अपीलाण्ट व रैस्पो0 की सहखातेदारी की आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन आदेश से स्वीकार किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिंदुओं पर कोई विवेचन नहीं की गयी है, कि कैसे रैस्पो0/प्रार्थी अपने पक्ष में उक्त तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है। स्पष्टतः अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विवेचना नहीं की गई है। अपीलाधीन निर्णय नॉन–स्पीकिंग होने से अपास्त योग्य है तथा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ नयायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है। वैसे भी एक सहखातेदार, दूसरे सहखातेदार को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं कराने का प्रावधान है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपरमित क्षति के बिन्दु को रिकार्ड तथा साक्ष्य के आधार पर तय किये जाकर पुनः विधिसम्मत एंव बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के निर्णय दिनांक 23.06.2015 अपास्त किये जाकर, प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.05.2019 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 08.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official